

भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-II खंड 2 के उप खंड (ii) में प्रकाशन के लिए

भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली

29 फरवरी, 2016

अधिसूचना

सा. आ..... जबकि उड़ान AI 543 का प्रचालन करते समय मेसर्स एअर इंडिया का A321 विमान VT-EDD, (शम्शाबाद से दिल्ली) उड़ान के दौरान दिनांक 30.01.2016 को नई दिल्ली में गंभीर घटना का शिकार हो गया था।

और जबकि, केन्द्रीय सरकार को यह उचित प्रतीत होता है कि इस घटना के कारण और अंशदायी कारकों का अन्वेषण और निर्धारण किया जाना, और भविष्य में ऐसी गंभीर घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सिफारिशें करना व्यावहारिक है।

अब, वायुयान (दुर्घटना एवं घटना जांच) नियमावली, 2012 के नियम 11 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा इस गंभीर घटना की औपचारिक जांच का निदेश देती है।

तदनुसार, केन्द्रीय सरकार श्री एन एस डागर, संयुक्त महाप्रबंधक (एटीएम), विमानन संरक्षा, एएआईबी की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्य के साथ एक जांच समिति नियुक्त करती है:-

- (i) कैप्टन ध्रुव रेब्बाप्रगदा, विमान सुरक्षा प्रमुख, इंडिगो, प्रचालन सदस्य के रूप में
- (ii) श्री दिनेश कुमार, एएसओ, एएआईबी, सचिव के रूप में

समिति, जब कभी अपेक्षित होगा, अन्य विशेषज्ञों/एजेंसियों की सहायता भी लेगी।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

समिति अधिमानतः छह महीने के भीतर इसकी जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।



(बी एस भुल्लर)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सं.एवी-15018/3/2016-डीजी

सेवा में

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी

बाहरी रिंग रोड, नई दिल्ली

**TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 2 SUB-SECTION (ii) OF THE
EXTRAORDINARY GAZETTE OF INDIA**

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CIVIL AVIATION**

RAJIV GANDHI BHAWAN, NEW DELHI
29 February, 2016

NOTIFICATION

S.O.... Whereas M/s Air India A321 aircraft VT – EDD met with a Serious incident at New Delhi on 30.01.2016 while operating flight AI 543(Shamshabad to Delhi).

And whereas, it appears to the Central Government that it is expedient to investigate and determine the causes and contributory factors leading to the said serious incident and make recommendations to avoid recurrence of such serious incidents in future.

Now, in the exercise of the powers conferred by the Rules 11(1) of the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2012, the Central Government hereby directs that a formal inquiry in the serious incident be made.

Accordingly, the Central Government hereby appoints a Committee of Inquiry headed by Shri N. S. Dagar, Jt GM. (ATM), Aviation Safety, AAIB with following members:

- (i) Capt. Dhruv Rebbapragada, Chief of Flight Safety, Indigo as operational member
- (ii) Shri Dinesh Kumar, ASO, AAIB as Secretary to associate.

The committee will also take the assistance of other experts/agencies whenever required.

The headquarters of the Committee will be at New Delhi.

The Committee will complete its inquiry and submit its report to the Central Government preferably within six months.



(B. S. Bhullar)

Joint Secretary to Govt. of India

No. AV-15018/3/2016-DG

To,

The Manager,
Govt. of India Press, Mayapuri
Outer Ring Road, New Delhi